निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 195 / 2020 **दिनांक 26.04.2021**

अनवान

मदनलाल पिता जोधराज जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी नन्नाणा, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.... **वादी**

।। बनाम ।।

1. शम्भुलाल दत्तक पुत्र किशनलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी नन्नाणा तहसील भदेसर
2. उपपंजियक भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
3. तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.... **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात जो वाके मौजा नन्नाणा प0ह0 नन्नाणा तह0 भदेसर की खाता संख्या 399 की आराजी नं. 1029 रकबा 0.2200 हैक्टेयर लगानी 03 रूपये 08 पैसा, आराजी नं0 1173 रकबा 0.0100 हैक्टैयर गे0मु0चाह, आराजी नं. 1174 रकबा 1.5300 हैक्टेयर लगानी 55 रूपया 25 पैसा, आराजी नं0 आराजी नम्बर 558 रकबा 0.2500 हैक्टेयर लगानी 05 रूप्या 25 पैसा आराजी नम्बर 604 रकबा 0.1400 हैक्टेयर लगानी 56 पैसा, आराजी नं0 991 रकबा 0.2500 हैक्टेयर लगानी 09 रूपया कुल किता 6 कुल रकबा 2.4000 कुल लगानी 72 रुपये 97 पैसा स्थित है। वास्ते साक्ष्य वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी पेश है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरुष नवला जी के समय की [illegible] आ रही है नवलाजी के दो पुत्र जोधराज एवं किशनलाल हुवे, तथा जोधराज के दो पुत्र प्रतिवादी नं0 1 शम्भुलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरुष नवला जी के समय की चली आ रही है नवलाजी के दो पुत्र जोधराज एवं किशनलाल हुवे, तथा जोधराज के दो पुत्र प्रतिवादी नं0 1 शम्भुलाल एवं वादी मदनलाल हुवं, किशनलाल को कोई संतान नही होने से किशनलाल ने अपने भाई जोधराज के बडे पुत्र शम्भुलाल को गोद लिया तभी से शम्भुलाल किशनलाल का दत्तक पिता के हिस्से में आई सम्पति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा किशनलाल के देहान्त के बाद दत्तक पुत्र की हैसियत से किशनलाल के खातेदारी की आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 शम्भुलाल दत्तक पुत्र किशनलाल दर्ज चला आ रहा हैं। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 शम्भूलाल का जोधराज के हक हिस्से की आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है प्रतिवादी नमबर 1 किशनलाल अपने दत्तक पिता के हिस्से में आई सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा किशनलाल के देहान्त के बाद दत्तक पुत्र की हैसियत से किशनलाल के खातेदारी की आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 शम्भूलाल दत्तक पुत्र किशनलाल दर्ज चला आ रहा है ।

3. यह कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात हैं, जिसमें वादी अपने पिता के समय से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के पिता जोधराज व काका किशनलाल थो जिनके जीवन काल में ही व पैतृक सम्पत्ति का बटवारा जोधराज एवं किशनलाल के मध्य हो चुका है तथा इसी अनुसार दोनो के खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज चली आ रही थी। जोधराज व किशनलाल का देहान्त हो गया है, तथा वादी अने पिता जोधराज के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी का एक मात्र मालिक स्वामी है जबकि शम्भुलाल जो कि वादी के काका किशनलाल के काई सतान नही होने से किशनलाल के गोद चला गया और किशनलाल का दत्तक पुत्र होकर किशनलाल के हक हिस्से की सम्पत्ति पर काबिज हैं किन्तु प्रतिवादी नं0 1 शम्भुलाल जो कि वादी का बडा भाई हैं ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादी के पिता जोधराज के देहान्त के बाद जोधराज के वारेसान का नामांतरण में भी वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भी दकवा लिया जबकि प्रतिवादी [illegible] किशनलाल जी के गोद चले जाने से प्रतिवादी नं0 1 का अपने प्राकृतिक पिता जोधराज के हक हिस्से में कोई हक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। वादी ने जब प्रतिवादी नं0 1 को वादग्रस्तआराजी मे से अपना नाम विलोपित करा वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी अकेले वादी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

घोषित करा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज कराने की कहा तो प्रतिवादी नं0 1 टाल चाल कर रहा है तथा घोषणा कराने के इंकार हो गया है। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा अकेले अपने नाम कराने का अधिकारी हैं, तथा प्रतिवादी नं0 1 नाम विलोपित कराने के अधिकारी है।

4. यह कि वादपत्र की च.सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादी के अकेले के नाम की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 का नाम विलोपित कराने हेतु प्रतिवादी नं0 1 के कहा तो प्रतिवादी नं0 1 घोषणा कराने से इंकार हो गया वादी व मौतबीरान के समझाने बुझाने पर नही मान रहा है और वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादी के खातेदारी व स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात को भूमाफिया से मिलकर खुर्द बुर्द कर, रहन बय बक्शीश के माध्यम से हस्तांतरण करने पर आमादा हो रहा है तथा प्रतिवादी नं0 1 अन्य लोगो के सिखावे में आकर वादी के अकेले के हक हिस्से व कब्जे की मानने से इंकार हो गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरण करने पर आमादा है इसलिए वादी प्रतिवादी नं0 1 को इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी नं0 1 वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन नाजायज कब्जा नही करें, न करावें, ना ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करने की कोशिश करें, न करावें तथा ना ही वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्शीश के माध्यम से हस्तांतरित करने की कोशिश करे न करावे, वादी को बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करने दे उसमें किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे न करावें इस आशय के स्थााई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें, तीा वादी गरीब व कमजोर व्यक्ति है जो मौके पर लडाई झगडा नही कर सकता है इसलिए प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादी के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात पर दौराने दावा जबरन नाजायज कब्जा कर खुर्द बुर्द कर रहन हस्तांन्तरण या किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लेने की सुरत में जरिये अदालत प्रतिवादी नं0 1 का दौराने दावा किये गये नाजयज कब्जे को हटाया जाकर पुनः दावा पेश करने की स्थिति बहाल कराने के अधिकारी है, व जरिये अदालत वादी कब्जा प्राप्त [illegible] अधिकरी हैं ओर प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible]री
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

5. यह कि अभी दिनांक 15/11/2020 को जब वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को वादवत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयातस की घोषणा वादी के अकेले का नाम पर करा, प्रतिवादी नं0 1 का नाम विलोपित कराने की कहा तो प्रतिवादी नं0 1 इंकार हो गया, तथ वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर रहन बय बक्शीश के माध्यम से हस्तांतरण करने की धमकीयां देने से हर रोज पैदा होकर वाद अंदर अवधी पेश है।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रफोर्मा पक्षकार होकर उनके प्रतिनिधी ने उपस्थिति होकर किसी प्रकार जवाब प्रस्तुत नहीं किया ।

प्रकरण में वादोत्तर पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा नन्नाणा खाता संख्या 398 संवत् 2076 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा नन्नाणा खाता संख्या 399 संवत् 2076 प्रदर्श–2
3. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री मदनलाल पिता पिता जोधराज ब्राहम्ण निवासी नन्नाणा पी0डब्लू 1
4. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री नगजीराम पिता शंकरलाल जाट निवासी नन्नाणा पी0डब्लू 2
5. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री प्रभूलाल पिता हरलाल भील निवासी नन्नाणा पी0डब्लू 3
6. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री मुकेश पिता मदनलाल ब्राहम्ण निवासी नन्नाणा पी0डब्लू 4
7. फोटो प्रति परिवार राशनकार्ड 70/12.05.10 [illegible] निवासी नन्नाणा
8. जिला अफीम अधिकारी चित्तौडगढ जारी सम्मन क्रमांक 13[illegible] चालान नम्बर 6 श्री दिनांक 21.07.05 शम्भू पिता किशनलाल निवासी नन्नाणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला–चित्तौड़गढ़

9\. महाप्रबन्धक अमीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा जारी आदेश शम्भूलाल पिता किशनलाल निवासी नन्नाणा

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 शम्भूलाल अपने गोदी पिता किशनलाल की सम्पत्ति आराजीयात प्राप्त कर चुके है तथा उनके परिवार राशन कार्ड, अफीम का पटटा आदि सभी दस्तावेजों में प्रतिवादी संख्या 1 शम्भूलाल के गोदी पिता किशनलाल ब्राहमण नाम अंकित है इसके पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 1 शम्भूलाल का नाम उनके प्राकृतिक पिता जोधराज की आराजी/सम्पत्ति मे नाम संहवन से राजस्व कर्मियों द्वारा लगा दिया गया हे जबकि कानूनन एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत गोदीपुत्र को अपने प्राकृतिक पिता सम्पत्ति में से कोई हक हक अधिकार शेष नहीं रहने से वादवर्णित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 शम्भूलाल का नाम हटाया जाकर तन्हा वादी के खातेदारी की घोषित फरमाई जाने की डिक्री सादिर फरमाइ जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रदर्श–1 अनुसार खाता संख्या 398 में अंकित आराजीयात प्रतिवादी संख्या शम्भूलाल दत्तक पुत्र किशनलाल ब्राहमण के नाम के अंकित है तथा प्रदर्श–2 अनुसार खाता संख्या 399 में अंकित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के 1/2, 1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 शम्भूलाल अपने गोदी पिता किशनलाल के देहान्त बाद उनकी आराजीयात प्राप्त कर चुके है किन्तु खाता संख्या 399 की आराजीयात जो उनके प्राकृतिक पिता जोधराज ब्राहमण की थी उसमें भी 1/2 हिस्सा नाम अंकित कर दिया गया है विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जहां गोदी पुत्र अपने गोदी की सम्पत्ति के समस्त हक एवं उत्तराधिकार प्राप्त कर चुके हे तो उन्हें अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में से विरासतन कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करता है । वादी द्वारा स्वतन्त्र गवाहों एवं दस्तावे[illegible] को बखूबी साबित कराया है मौके वादी का ही कब्जा होना भी [illegible] की ओर से वाद का खण्डन नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों की पुष्टि हो[illegible] है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम नन्नाणा की खाता संख्या 399 की आराजी नम्बर 1029, 1173, 1174, 558, 604, 991 कुल किता 6 कुल रकबा 2.4000 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 शाम्भूलाल पुत्र जोधराज ब्राहमण का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर एकल रूप से वादी मदनलाल पिता जोधराज ब्राम्हण के तन्हा खातेदार घोषित किये जाते है । तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो जाता उक्त आराजी के किसी भी भू भाग को रहन बय बख्शीस ,हस्तान्तरण नहीं करें न करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:39 IST
Reason: SelfAttested